चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 12.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 12.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी ब्रज बिहारी द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(सी0डि0) एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2018 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त चन्द्र किशोर पुत्र लखनलाल केशरवानी निवासी तुलसी इण्टर कालेज के पास कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) श्रीमती शैफाली यादव द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 4029/2010 धारा 379,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ कल्लू पुत्र अतर सिंह निवासी रामपुर धनुवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.08.2010 को वादी ओमप्रकाश पुत्र रामकृपाल निवासी चौकबाजार अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा द्वारा सूचना दी कि UP 90 A 9755 हीरो हण्डा मोटर साइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेना इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 4029/2010 धारा 379 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा की गयी वाहन उपरोक्त की बरामदगी करते हुए आरोपी अभियुक्त को दिनाँक 15.08.2010 को गिरफ्तार किया एवं दिनाँक 15.08.2010 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 07/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त देवराज पुत्र चुनकौना निवासी कोल कालोनी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5).मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन बचपन के क्रम में आज दिनाँक 12.12.2024 प्रभारी निरीक्षक थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग श्री शिवमूरत यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सदानंद सिंह,आरक्षी त्रिभुवन सिंह द्वारा कर्वी शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व विभिन्न

स्थानों के आस-पास होटलों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस दौरान होटलों में हो रहे बालश्रम की चेकिंग की गयी तथा पम्पलेट्स वितरित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076,साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930,वूमेन पावर लाइन नंबर 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान घुमंतू परिवार के लोगों को यह भी हिदायत दी कि बच्चों से बाल श्रम व भीख ना मंगवाए स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिनव सिंह व आरक्षी सचिन यादव द्वारा शिवकरन पुत्र राजबहादुर निवासी सकरौली थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 30 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(7). आज दिनाँक 12.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यलय स्थित राघव प्रेक्षागार में एनडीपीएस की धारा 52 व बीएनएस की धारा 107 के क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा एनडीपीएस की धारा 52 के तहत नारकोटिक्स के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के मॉडल के सम्बन्ध में जारी गाइडलाइन के बारे, बीएनएसएस की धारा 107 के बारे में जानकारी दी गयी।
कार्यशाला के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री विनोद कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय श्री अरविन्द्र कुमार वर्मा,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह,वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह,प्रभारी डीसीआरबी निरीक्षक श्री वीर प्रताप सिंह पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।